राजस्थान सरकार

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ☎+91–141–2702477, 2702528
E-mail:- rajmadarsaboard@gmail.com

क्रमांकः एफ. ( )रामबो/जय/ 2046 दिनांकः 26.8. .2019

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव एवं अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के पत्र क्रमांक प.3(2)अल्प.वक्फ/2017/आर.के./00869/जयपुर दिनांक 05.08.2019 के द्वारा मदरसों को क्रमोन्नत करने हेतु जारी प्रशासनिक सहमति दिये जाने के अनुसरण में राजस्थान मदरसा बोर्ड में प्राथमिक श्रेणी में पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर की श्रेणी में क्रमोन्नत करने हेतु संबंधित मदरसों के सदर/सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की पेनल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक F-REGISTRATION/ RMB/2013/4069 DATE 10-10-2014 एवं संशाधित नीति दिनांक 06.04.2018 द्वारा निम्न मदरसों को क्रमोन्नत करने की अनुमोदित की गई नीति के तहत समीक्षा कर योग्य पाए गए निम्नलिखित मदरसों को क्रमोन्नत करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	पंजीयन संख्या	मदरसे का नाम व पता	मान्यता का स्तर/वर्ष
1	3131	मदरसा प्रोग्रेसिव मेवात इस्लामी स्कूल, ग्राम कैसरपुर, पोस्ट बुर्जा तहसील अलवर जिला अलवर	उच्च प्राथमिक/2019–20
2	3403	मदरसा इस्लामियां नियाजिया, गर्ल्स शोर्ट सिविल लाइन रोड, बावडी, पांच बत्ती जिला टोंक	उच्च प्राथमिक/2019–20

मदरसा प्रबन्धन कमेटी को निम्न निर्देशों की पालना करनी होगीः–

1. पंजीयन एवं क्रमोन्नत करने की नीति दिनांक 10.10.2014 एवं संशोधित नीति दिनांक 06.04.2018 में वर्णित मापदण्डो को बनाए रखना होगा।
2. मदरसे के नाम से बैंक में खाता खुलवाना होगा जिसमें प्रत्येक समय बैंक में रूपये 10000/– की सावधि जमा रखनी होगी।
3. राजस्थान मदरसा बोर्ड एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही मदरसे में अध्ययनरत बच्चों का नामांकन पंजीका, उपस्थिति पंजीका एवं कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की उपस्थिति पंजीका संधारित करनी होगी।
4. राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण के समय उपस्थित रहकर मांगी गई सूचनाएं एवं रिकार्ड उपलब्ध कराना होगा।
5. राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक सामग्री का स्टाक रजिस्टर संधारित करना होगा एवं सहायतार्थ अनुदान राशि का रिकार्ड रखना होगा।

यह आदेश राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते है।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

क्रमांकः एफ. ( )रामबो/जय/2046 – 2049 दिनांकः .2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
5. निदेशक, एम.डी.एम. जयपुर।
6. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी.................................
7. सदर/सचिव मदरसा..
8. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा आदेश वेबसाईट पर अपलोड करें एवं संबंधित को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।
9. निंजी पत्रावली।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर